



कार्यालय नगर निगम उदयपुर (राज.)



टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001

दरभाष सं.0294.2421255, 2420013, Helpline no. 0294.2426262 वेबसाइट— www.udaipurmc.org.com

क्रमांक :— प()आर.टी.आई./न.नि.उ./2024-25/ 800

दिनांक:— ३०।।।१२५

कार्यालय आदेश

प्रायः यह दृष्टिगत हुआ है कि वरिष्ठ नागरिक/आमजन द्वारा/आर.टी.आई./अन्य प्रकार की सूचना हेतु निगम में आवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं, परन्तु उन्हे नगर निगम, उदयपुर से समय पर सूचना नहीं दी जाती है जिससे उनके द्वारा आर.टी.आई./ के प्रकरण में सक्षम अधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत की जाती है। व निगम के विरुद्ध जिला प्रशासन एवं उच्चाधिकारीयों शिकायत दर्ज करवाई जाती है। उक्त स्थिति से निगम की छवी पर प्रतिकूल प्रभाव जाता है एवं कार्यशेली पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

अतः निगम में संचालित सभी अनुभाग प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि जिला प्रशासन/आर.टी.आई आमजन अपीलों से प्राप्त प्रकरणों का त्वरीत गति से निर्धारित समयावधि में निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। आप द्वारा आर.टी.आई प्रार्थना-पत्र का निस्तारण करने के पश्चात ऑनलाईन/ऑफलाईन आर.टी.आई. प्रार्थना-पत्र को आर.टी.आई शाखा को निस्तारण की सूचना नहीं दी जाती है जिससे यह कितनी आर.टी.आई का आप द्वारा प्रतित्तर दे दिया है। स्पष्ट नहीं हो पाता है।

प्रशासक महोदय द्वारा कार्य को गम्भीरता से लिया है अतः जिन प्रकरणों में प्रशासक महोदय/सूचना आयोग जयपुर में अपीले हो चूकी हैं। उन प्रकरणों को तत्काल प्रतित्तर/जवाब/दस्तावेज तैयार कर तीन दिवस में आर.टी.आई. शाखा को उपलब्ध करावें इस कार्य में शिथिलता पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी/कार्मिक उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर आयुक्त महोदय को आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही के लिये अवगत करा दिया जाएगा एवं सूचना आयोग द्वारा किसी भी दण्ड आरोपित किये जाते हैं तो जिसकी तमाम जिम्मेदारी संबंधित शाखा प्रभारी / कार्मिक आप स्वयं की होगी।


सूचित रहें।


आयुक्त

०। नगर निगम, उदयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

1. निजी सहायक, प्रशासक महोदय (जिला कलेक्टर), नगर निगम, उदयपुर।
2. निजी सहायक, आयुक्त नगर निगम, उदयपुर।
3. लोक सूचना अधिकारी / सहा. लोक सूचना अधिकारी नगर निगम, उदयपुर।
4.अनुभाग प्रभारी / कार्मिक नगर निगम उदयपुर।


आयुक्त

०। नगर निगम, उदयपुर